

(भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/25/2020-अ.भा.से.-I

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 30 नवंबर, 2021

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और गृह मंत्रालय की सहमति से केंद्र सरकार, श्री नीतीश्वर कुमार, आईएएस (यू.पी.:1996) को दिनांक 06.09.2021 के बाद एक विशेष मामले के रूप में नीति में छूट देते हुए, एक वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश संवर्ग से केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर संवर्ग में अंतरसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति अवधि के विस्तार को एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 011-23094142

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिन्टो रोड,
दिल्ली-110002